राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ 12(1)ग्रावि/नरेगा/बेयरफुट/2015/00191 जयपुर, दिनांकः 19 FEB 2018

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः– बेयरफुट टैक्नीशियन (बीएफटी) के भुगतान के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– विभागीय आदेश दिनांक 15.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक विभागीय आदेश दिनांक 15.09.2016 के बिन्दु संख्या 11 के द्वारा बीएफटी को प्रतिदिन कुशल कारीगर की दर से भुगतान किये जाने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे। स्पष्ट विभागीय निर्देश होने के उपरान्त भी विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जिलों में बीएफटी का भुगतान अलग अलग दरों से किया जा रहा हैं।

श्रम विभाग की अधिसूचना 05 जुलाई, 2016 के अनुसार दिनांक 01.04.2016 से कुशल कारीगर की दर के अनुसार 221/– रूपये प्रति दिवस एवं अधिसूचना 03 जुलाई, 2017 के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से 227/– रूपये प्रति दिवस के अनुसार बीएफटी को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि पूर्व में इससे अधिक भुगतान किया गया है तो सम्बन्धित से वसूली किया जाना भी सुनिश्चित करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि0 निदे0 एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. परियोजना अधिकारी (लेखा), ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

Scanned by CamScanner